

**भारत में किसी स्थान/गृह नगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने का इरादा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेशगी स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र**  
**Application for the grant of advance to Govt. Servant intending to avail of Leave Travel Concession for any place in India/Home Town.**

1	पूरा नाम (साफ अक्षरों में)/ Name (in block letters)			
2	पदनाम एवं संबद्ध अनुभाग का नाम Designation & Section to which attached			
3	मूलवेतन/ Basic Pay	₹0 / <b>Rs.</b> _____		
4	केन्द्रीय सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि/ Date of first appointment in Central Govt./ICAR Services.			
5	क्या सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार से परिवीक्षा अवधि पर है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें/ Whether the Govt. Servant is on probation from State Govt, If so, state the details.			
6	स्वीकृत छुट्टी की प्रकृति एवं अवधि: Nature and period of leave sanctioned.			
7	भ्रमण स्थान/ Place to be visited			
8	निकटतम रेल स्टेशन/ Nearest Railway Station			
9	गृह नगर (निरपवाद रूप से बताया जाए) Home Town (to be indicated invariably)			
10	क्या यात्रा रियायत का पहले लाभ उठाया गया है, यदि हां तो बताएं:- Whether Travel Concession has been availed before, if so, State :-	(i) ब्लॉक वर्ष/ Block Year _____ (ii) किस वर्ष में रियायत का लाभ उठाया गया/ Year in which concession availed _____		
11	किस ब्लाक वर्ष के लिए वर्तमान पेशगी का दावा किया जा रहा है The block year for which the present advance is claimed.			
12	क्या यात्रा परिवार के साथ की जाएगी; यदि हां तो यात्रा एवं परिवार के सदस्यों का ब्यौरा (संबंध एवं क्रमानुसार उम्र, प्रस्थान एवं आगमन सहित अनंतिम तिथि) Whether journey is to be performed with family, if so, the details of journey and family members (Relationship & respective age including the tentative date of departure & Arrival.	नाम/ <b>Name</b>	उम्र (वर्ष)/ <b>Age (Yr)</b>	संबंध/ <b>Relation- ship</b>
13	यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं एवं परिवार सहित बहिर्याता अलग से करनी हो, तो कारण एवं सटीक तिथि/तिथियां बताएं कि किस दिन बाहरी यात्रा प्रारंभ की जाएगी।/ If the outward journey is to be performed separately by the family and the Govt. Servant himself, state the reasons and the exact date/s on which outward journeys by each are to be commence.			
14	अपेक्षित पेशगी की रकम (ऐसी पेशगी की राशि प्रत्येक मामले में अनुमानित राशि की 9/10वीं तक सीमित होगी जिसकी सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी) The amount of advance required (the amount of such advance in each case will be limited to 9/10 of the estimated amount which Govt. would have to (reimburse).			

15	वास्तविक रेल श्रेणी की सुविधा जिसमें आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्य यात्रा करना चाहते हैं/ The actual railway class of accommodation in which journey are to be performed by the applicant and his/her family members.	
16	क्या स्थायी हैं या अस्थायी/यदि अस्थायी हो तो जमानती का पदनाम Whether permanent or Temporary. If Temporary, state name and designation of the <b>Surety</b> .	

तारीख / Date -----

आवेदक का हस्ताक्षर /

Signature of the applicant-----

पदनाम / Designation -----

मेरी सर्वाधिक जानकारी के अनुसार मैं, .....एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि (क) उपरोक्त तथ्य वास्तविक एवं सही है तथा (ख) बहिर्यात्रा पेशगी स्वीकृति की तिथि से 60 दिन के भीतर की जाएगी ऐसा न करने पर पेशगी की रकम तुरन्त वापस कर दी जाएगी (ग) मैं स्वयं एवं मेरे परिवार के सदस्य उपरोक्त बताये गए श्रेणी की सुविधा में यात्रा करेंगे तथा किसी भी स्थिति में निम्नतर श्रेणी से नहीं तथा (घ) मैं छुट्टी से वापस आते ही तुरन्त वापसी यात्रा की समाप्ति की तिथि से एक मास के भीतर रसीद सहित समायोजन बिल प्रस्तुत करूंगा।

I, ..... hereby certify that (a) the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge, (b) the outward journey will be performed within 60 days of grant of advance failing which advance will be refunded immediately, (c) the family members and myself will travel in the class of accommodation as stated above and not in lower class under any circumstances and (d) I will submit the adjustment LTC Bill together with money receipt immediately after my return from leave and not later than one month from the date of completion of return journey.

मैं पेशगी लेने के दस दिन के भीतर रेलवे/बस टिकट रोकड-। अनुभाग में इस तथ्य के समर्थन में प्रस्तुत करूंगा कि मैंने वास्तव में टिकट खरीदा है।

I shall produce railway/bus tickets within ten days of the drawl of advance to Cash-I Section in support the fact that I have actually utilized the amount for the purchase of tickets.

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता/अभिभावक पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हैं और मेरे साथ रह रहे हैं तथा उनकी मासिक आय रू0 1500/- से कम है।

Certified that my father/mother/parent is/are wholly dependent on me, and is/are residing with me and his/their monthly income is less than Rs. 1500/-.

आवेदक के हस्ताक्षर. / Signature of the Applicant \_\_\_\_\_

पदनाम / Designation \_\_\_\_\_

तारीख / Date \_\_\_\_\_

महत्वपूर्ण : यदि पेशगी जाने एवं वापस आने दोनों यात्राओं के लिए ली गयी थी तथा बाद में यह पता चले कि मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिनों की तीन माह की अवधि से अधिक होने की संभावना है तो छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी की आधी धनराशि तुरन्त सरकार को लौटानी होगी।

**Important :** Whether an advance has been drawn for both the forward and return journey and later it becomes clear that the period of absence from Headquarter is likely to exceed there months of ninety days, one half of the LTC advance **should be refunded to Government forthwith.**

दृष्टव्य: यह सुविधा गृहनगर रियायत के बदले दो वर्ष के एक ब्लॉक के लिए दी जाती है।

This concession is in lieu of Home Town concession for one block of two years.

यदि यात्रा राज्य स्वामित्व वाली बसों/राज्य पर्यटन बसों द्वारा यात्रा न की गई हो तो किसी दूसरे बस का किराया स्वीकार्य नहीं होगा।

दावा के साथ मूल बस टिकट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

No Bus Fare is admissible if the journey have not been undertaken by state owned buses/state Tourism buses. The original bus tickets are produced with the claim, compulsorily.

सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र :-  
CERTIFICATE TO BE GIVEN BY A GOVERNMENT SERVANT

1. मैंने 200 .....से 200 .....तक के दो ब्लाक वर्क में स्वयं के लिए और न अपने परिवार के लिए किसी यात्रा अवकाश रियायत का दावा पेश नहीं किया है।

I have not submitted any other claim so far for leave travel concession in respect of myself or my family members in respect of the block of two years \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_.

2. मैंने स्वयं के लिए/अपनी पत्नी व.....बच्चों के लिए अग्रिम टी.ए. (यात्रा भत्ता) व अवकाश यात्रा रियायत पहले से ही ले ली है। इस दावे के अंतर्गत मैंने/मेरी पत्नी व मेरे बच्चों में से किसी ने भी आरंभिक अवसर में यात्रा नहीं की।

I have already drawn Travelling Allowance Advance for ther Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife with \_\_\_\_\_ children. This claim is in respect of the journey performed by my wife/myself with \_\_\_\_\_ children none of whom travelled with the part on the earlier occasion.

3. घोषित किया जाता है कि मुझे/मेरी पत्नी और.....बच्चों सहित गृह/नगर.....से.....तक भारत में किसी स्थान पर यात्रा करने की रियायत दी जाती है।

That journey has been performed by me/my wife with \_\_\_\_\_ children to the declared "Home Town" viz \_\_\_\_\_ on to \_\_\_\_\_ if the concesssion availed of i.e. for any place in India.

4. कि मेरा पति/पत्नी सरकारी नौकरी में नहीं है और मेरा पति/पत्नी सरकारी सेवा में नहीं है और उसके/उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रियायत, अलग से नहीं लिया गया है और ब्लाक कलैण्डर वर्क दो/चार में उनके/उसके और परिवार संबंधित सदस्य ने कोई रियायत नहीं ली है।

That my husband/wife is not employed in Govt. Service or that my husband/wife is employed in Govt. Service and the concession has not been availed of by him/her separated, for himself/herself or for any member of the family for the concerned block of two/four calender year.

5. मैंने एक्सप्रेस/मेल से यात्रा की।

I travelled by Express/Mail.

6. मैंने मानकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंतर्गत सड़क मार्ग से बस यात्रा की।

I travelled the road portion by bus in a recognised public transport system.

जो लागू न हो उसे काट दें/Delete which is not applicable

पैरा 1(6) का एम एच ए ओ एम सं० (रिक्त)/Para 1(6) of MHA O.M. No. NIL.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर  
/Signature of Govt. Servant

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

प्रमाणित किया जाता है कि /Certified that :-

1. श्री/श्रीमती/कुमारी.....ने अपने/गृह/नगर अथवा भारत के किसी स्थान में यात्रा करने की आरंभिक तिथि से एक वर्क या इससे अधिक लगातार सेवा की है।

Sh./Smt./Kumari\_\_\_\_\_ has rendered continued service for one year or more on the date of commencement of his/her outward journey to home town or any place in India.

2. एम एच ए ओ एम सं० 43/1/55 स्थापना (क) पैरा-(पैरा) के अंतर्गत 11 अक्टूबर, 1956 श्री/श्रीमति/कुमारी.....की सेवा पुस्तिका में पैरा 2 की आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।

Necessary entries as required under para 3 of the MHA OM No. 43/1/55-Ests.(A) para II dated the 11th October, 1956 have been made in the service book of Sh./Smt./Kumari\_\_\_\_\_ .

पैरा 11(6) एम एच ए ओ एम/Para 1(6) of MHA O.M. No. NIL.

दिनांक/Dated \_\_\_\_\_

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम/  
Signature & Designation of the Controlling Officer.